

कार्यालयः— अंचल अधिकारी, सिमरिया ।

विविध वाद सं०-०३/२०२२-२३

भुनेश्वर महतो, पिता—स्व० टेका महतो, मौजा—डाडी ।

बनाम

विनोद महतो वगैरह, पिता—कोल्हा महतो मौजा—डाडी ।

—:आदेशः—

क्रम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बिंदु में टिप्पणी तारीख—सहित
१	<p style="text-align: center;">२</p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक भुनेश्वर महतो, पिता—स्व० टेका महतो, मौजा—डाडी से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ की गई है। आवेदक ने सिमरिया अंचल अन्तर्गत मौजा—डाडी के खाता सं०-८९ प्लॉट सं०-८१९,८२० एवं ८२१ वगै० मौजा—डाडी (यथा आवेदन में वर्णित) कुल रकमा—६.७७ ए० भूमि की जमाबन्दी लालजी महतो वगै० के नाम से सम्मिलात जमाबंदी कायम है। आवेदन के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>मामले की अग्रेतर कार्यवाही एवं दोनों पक्षों को अपना दावा प्रमाणित करने हेतु नोटिस निर्गत की गई। तदनुसार उभय पक्ष उपस्थित हुए।</p> <p>प्रथम पक्ष आवेदक की ओर से लालजी महतो वो लटन महतो पिता—सीटा महतो वो मिठु महतो पिता— बैजु महतो के नाम से दर्ज सर्वे खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद के आधार पर अपना दावा पेश किया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से स्वयं भुनेश्वर महतो उपस्थित होकर बतलाये की सर्वे खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो पिता— सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर एवं मिठु महतो एक हिस्सा दर्ज है। उक्त खतियान के आधार पर हक—हिस्सा खतियानी रैयतों के सभी वंशजों को होता है, परंतु लालजी महतो के वंशजों द्वारा मूल सर्वे खतियान में छेड़—छाड़ कर मिठु महतो पिता— बैजु महतो का मेरे खतियानी पूर्वज का नाम हटा दिया गया है, एवं एक हिस्सा रकमा—१.१०.५ ए० भूमि से बेदखल करना चाहते हैं।</p> <p>द्वितीय पक्ष की ओर प्रतिपक्षी विनोद महतो द्वारा भी लालजी महतो वो लटन महतो पिता—सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर से संबंधित सर्वे खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से विनोद महतो उपस्थित होकर बताये की सर्वे खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो पिता— सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त खतियान के आधार पर हमलोगों का दखल कब्जा है।</p>	३

कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम-डाड़ी थाना सं0-152 के अन्तर्गत खाता सं0-89, प्लॉट सं0-819,820 एवं 821 वगैरह रकवा-6.64 ए0 भूमि रैयती खाते की है। अपीलान्ट के दादा लालजी महतो वो लटन महतो पेशरान सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर एवं मिठु महतो एक हिस्सा दर्ज है।

प्रथम पक्ष भुनेश्वर महतो पिता-टेका महतो के दादा मिठु महतो के नाम से खाता सं0 89, प्लॉट सं0-820 रकवा-0.16, प्लॉट सं0-821 रकवा-0.03 ए0, प्लॉट सं0-826 रकवा-0.03 ए0, प्लॉट सं0-819 रकवा-0.05 ए0, प्लॉट सं0-449 रकवा-0.08 ए0, प्लॉट सं0-1629 रकवा-0.26 ए0, प्लॉट संव-1965 रकवा-0.12 ए0, प्लॉट सं0-1485 रकवा-0.12 एवं प्लॉट सं0-1617 रकवा-0.25 ए0 कुल रकवा-1.10 ए0 भूमि बक्क्जे मीठु महतो हिस्सा होता है जबकि पंजी II के पृष्ठ सं0 172/6 पर 1.44.5 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है। खाता सं0-89 के प्लॉट सं0-90 रकवा-0.82 ए0 शेष इजमाल की भूमि से बँटवारानामा के अनुसार रकवा-0.58.5 ए0 भूमि दिया गया है।

द्वितीय पक्षों को खाता-89 प्लॉट नं0-282 रकवा-0.26 ए0, प्लॉट सं0-1691 रकवा-अस्पष्ट है, प्लॉट सं0-1717 रकवा-0.32, प्लॉट सं0-1889 रकवा-0.21 ए0, प्लॉट सं0-1964 रकवा-0.61 ए0, प्लॉट सं0-824 रकवा-0.09 ए0 बक्क्जे लटन महतो, प्लॉट सं0-825 रकवा-0.09 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट सं0-1104 रकवा-0.04 ए0 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट नं0-1108 रकवा-0.25 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट सं0-1110 रकवा-0.26 ए0 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट सं0-1293 रकवा-0.11 ए0 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट-1346 रकवा-0.06 एवं बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट सं0-1486 रकवा-0.06 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट सं0-1618 रकवा-0.26 ए0, प्लॉट-1626 रकवा-0.08 प्लॉट सं0-1628 रकवा-0.26 ए0 बक्क्जे लालजी महतो वो लटन महतो, प्लॉट सं0-448 रकवा-0.18 ए0, प्लॉट सं0-451 रकवा-0.14 ए0, प्लॉट सं0-681 रकवा-0.19, प्लॉट सं0-823 रकवा-0.02 ए0 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट सं0-822 रकवा-0.03 ए0 बक्क्जे लटन महतो, प्लॉट सं0-1069 रकवा-0.13 बक्क्जे लालजी महतो, प्लॉट संव-112 रकवा-1.08 ए0 एवं इजमाल के प्लॉट सं0-90 रकवा-0.23.5 कुल रकवा- 5.05.5 ए0 भूमि सम्मिलात तीन हिस्सा बराबर में आता है।

दोनों पक्षों द्वारा समर्पित खतियान को सत्यापन हेतु इस कार्यालय पत्रांक-232 दिनांक-16.04.2023 एवं पत्रांक-59 दिनांक-01.02.2024 के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी जिला अभिलेखागार चतरा से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रभारी पदाधिकारी जिला अभिलेखागार चतरा के पत्रांक-200 / अभि० दिनांक-07.11.2023 द्वारा प्रतिवेदित

किया गया है कि वांछित खतियान खोज बीन करने पर कार्यालय में नहीं पाया गया।

दोनों पक्षों द्वारा समर्पित दोनों सर्वे खतियान का अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि समर्पित मूल खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो पिता— सीटा महतो मौजा—डाडी तीन हिस्सा बराबर एवं मीठु महतो पिता— बैजु महतो एक हिस्सा दर्ज है, परन्तु द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा एक फर्जी खतियान तैयार कर मीठु महतो के नाम दर्ज खतियान से हटा दिया गया है।

प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं उल्लेखित बिन्दुओं का विस्तृत अवलोकन तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है, कि द्वितीय पक्षों के लोगों द्वारा एक मूल खतियान के अलावे एक फर्जी खतियान बनाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं मूल खतियान में अंकित बकब्जे प्लॉट के आधार पर मौजा—डाडी थाना सं०-१५२ के अन्तर्गत खाता सं०-८९ प्लॉट सं०-४४९, ८१९, १६२९, १६६५, ८२६, १४८५, १६१७, ८२०, ८२१ एवं प्लॉट सं०-९० कुल रकवा—१.४४.५ ए० भूमि का पंजी II के पृष्ठ सं० १७२/६ पर मिठु महतो के नाम से कायम जमाबंदी को यथावत रखा जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है, असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
4/03/24
सिमरिया।

अंचल अधिकारी
4/03/24
सिमरिया।